न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — रामचरण शर्मा, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 90/अपील/18 — तारीख दायरा 16.10.18

मांगीलाल आ0 गोपीलाल लोधा निवासी नयागॉव तहसील अकलेरा

अपीलान्ट.....

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा

रेस्पोडेन्ट....

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजी निर्णय दिनांक 23.03.18 तहसीलदार अकलेरा

उपस्थित:— श्री कुलेन्द नागर वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::— दिनांक: 20.12.18

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 23.03.18 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा ने अपीलान्ट को ग्राम भण्डेरी वीरान की आराजी ख0न0 61 की 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी पर अतिक्रमी मानते हुवे आराजी भूमि से बेदखल किये जाने एवं 23 रू0/—शास्ती एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है—अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संगहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भारी भूल की है—विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है आराजी खाली पडी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गईं।

योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा जुर्माने की राशि भी जमा करा दी है—अपीलान्ट के विरूद्व द्वितीय अतिचार भी प्रमाणित नही है फिर भी उसे सजायाब किया गया है जो उचित नही है—अब भविष्य में अपीलान्ट अब राजकीय आराजी पर कब्जा नही करेगा इस बाबत शपथ पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 60 दिन के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर भी गौर किया गया—अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है—इसलिए अपीलान्ट हमारी राय मे कुछ राहत पाने का पात्र हो जाने से यह प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है—परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त करते हुए यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मे पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल मे लावे। निर्णय आज दिनांक 20.12.18 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(रामचरण शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज0)